पंचायत निगरानी संख्या 23/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/104

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 23/2024
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/104

प्रार्थी :–

जेठमल उर्फ मुन्नीलाल पुत्र श्री बाबूलाल जाति महाजन, निवासी गांव सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत सोमेसर जरिये सरपंच/सचिव, पंचायत कार्यालय सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. अशोक कुमार पुत्र श्री भीकमचंद, जाति महाजन, निवासी सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर द्वितीय पता 18 सदर बाजार दुर्ग, जिला छत्तीसगढ।

निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पंचायत पट्टा संख्या 27 जारी दिनांक 28.12.2010, मिसल संख्या 77/2010–11, दायर दिनांक 05.05.2010 जो ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री भरत बूब (प्रार्थी की ओर से)।
2. अप्रार्थी संख्या 2 नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– **दिनांक :– 11.03.2025**

1. यह पंचायत निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत, सोमेसर, पं.स. शेरगढ द्वारा मिसल सं. 77, दायरा दिनांक 05.05.2010 में पट्टा संख्या 27, संकल्प संख्या–4 की पालना में दिनांक 28.12.2010 को, अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2018 को पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए तथा ग्राम पंचायत सोमेसर से आक्षेपित पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड मंगवाया गया। अप्रार्थी संख्या–2 को रजिस्टर्ड [illegible] से [illegible] दिनांक 08.01.2025 को भेजा गया। पोस्टल [illegible] संख्या RR457539059IN दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

09.01.2025 को अप्रार्थी के वर्तमान पता 18, सदर बाजार, दुर्ग, छत्तीसगढ पर भेजा गया, जो ट्रेक कंसाईनमेंट रिपोर्ट अनुसार दिनांक 16.01.2025 को अप्रार्थी संख्या–2 को डिलीवर हुआ है। पोस्टल रसीद व ट्रेक रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। इस नोटिस से अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 11.02.2025 को स्वयं या जरिये प्लीडर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना था, परंतु नियत तारीख को न तो अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं ने या अन्यथा अपना पक्ष प्रस्तुत किया। अतः रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया नोटिस अप्रार्थी संख्या 2 पर समुचित रूप से तामिल होने की विधि प्रावधानुसार उपधारणा की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

3. ग्राम पंचायत सोमेसर ने पत्रांक ग्रापसो/2021–22/46 दिनांक 08.02.2022 से सूचित किया है कि पट्टा संख्या 27 दिनांक 28.12.2010, मिसल संख्या 77, बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 28.12.2010 ग्राम पंचायत सोमेसर में उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायालय में पेश करना संभव नहीं है।

4. प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जेठमल ने उक्त निगरानी पेश कर कथन किया है कि ग्राम पंचायत सोमेसर ने मिसल संख्या 77, दायरा दिनांक 05.05.2010 में पट्टा संख्या 27, ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 4 की पालना में दिनांक 28.12.2010 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी करना बताया है परंतु वास्तव में ऐसा कोई पट्टा ग्राम पंचायत ने जारी नहीं किया है तथा जारी होना बताया गया पट्टा फर्जी है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने हेतु अपनाई जाने वाली कानूनी प्रकिया का पालन नहीं किया है। उक्त तारीखों में ग्राम पंचायत ने कोई ऐसा संकल्प पारित नहीं किया है। जिस भूखण्ड पर पट्टा जारी होना बताया है, उस पर अप्रार्थी का कोई मकान बना हुआ नहीं है तथा भूखण्ड खाली है। अतः खाली भूखण्ड पर पट्टा जारी नहीं हो सकता है। पट्टा 120 वर्ग गज का बिना राशि वसूल किये जारी किया है, जो गलत है। जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है, उस पर प्रार्थी का ही कब्जा है। उक्त तथ्यों की पुष्टि ग्राम पंचायत द्वारा सूचना का अधिकार के तहत उपलब्ध कराई गई सूचना दिनांक 30.06.2015 से होती है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 2 उक्त फर्जी पट्टे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहता है। अतः फर्जी पट्टा निरस्त करना आवश्यक है। पट्टे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर भी नही है। प्रार्थना पत्र के संलग्न बुक नं. 27, पट्टा कमांक 27, मिसल संख्या 77, दायरा दिनांक 05.05.2010, जारी दिनांक 28.12.2010, आवासीय पट्टा प्रारूप 23 क की फोटो प्रति पेश की है, जिस पर संकल्प सं. 4 अंकित है। सरपंच आवडदान व ग्रुप सचिव के लघु हस्ताक्षर है।

5. बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत बूब ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पंचायत समिति व ग्राम पंचायत ने लिखित में कथन किया है कि आक्षेपित पट्टा का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः पट्टा फर्जी है। ग्राम पंचायत से विधि प्रकिया अपना कर जारी नहीं किया है। अतः पट्टा खारिज किया जावे तथा निगरानी स्वीकार की जावे। अपने कथनों के समर्थन में फार्म संख्या 3 में विकास अधिकारी, शेरगढ द्वारा पत्रांक पसशे / 2021–22 / 3029 दिनांक 04.02.2022 से पंचायत समिति सदस्य श्रीमती पुष्पा कंवर को उपलब्ध कराई गई सूचना पेश की, जिसके संलग्न जांच रिपोर्ट भी है।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किया:–

a) प्रार्थी ने पट्टा संख्या 27 दिनांक 28.12.2010 को निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी पेश की है तथा निगरानी के साथ उक्त पट्टे की फोटो प्रति ही पेश की है। ग्राम पंचायत ने पत्रांक 46 दिनांक 08.02.2022 से सूचित किया है कि आक्षेपित पट्टा संख्या 27 दिनांक 28.12.2010 से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख ग्राम पंचायत में नहीं है तथा न ही संकल्प संख्या 4 पारित हुआ है। पंचायत समिति शेरगढ के पत्रांक 45 दिनांक 01.09.2014 को जिला परिषद, जोधपुर को प्रेषित पत्रानुसार ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा वर्ष 2007 से 20.03.2012 तक कोई पट्टा जारी नहीं होना बताया है। इस रिपोर्ट के संलग्न बयान श्री तेजाराम वैष्णव, ग्राम सेवक, श्री गणेश कुमार, ग्राम सेवक, श्री [illegible]मागिरि, ग्राम सेवक से उक्त निष्कर्ष को प्रमाणित माना है। श्री गणेश कुमार ने बयान किया है कि वर्ष 2007 से 2013 तक मेरे कार्यकाल में ग्राम पंचायत सोमेसर में पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

जारी होना पाया जाता है तो वह फर्जी है तथा मैने खाली पट्टा बही तेजाराम वैष्णव को चार्ज में दे दी थी। उक्त अवधि में उसने कोई पट्टा जारी नहीं किया है। श्री तेजाराम वैष्णव ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 11.02.2011 से 20.03.2012 तक ग्राम सेवक सोमेसर था, उस दौरान उसने कोई पट्टा जारी नहीं किया है।

उपर्युक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आक्षेपित पट्टा संख्या 27 दिनांक 28.12.2010 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नहीं किया गया है तथा इस पट्टे से संबंधित कोई अभिलेख ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में उपलब्ध ही नहीं है। नियमानुसार पट्टे की एक प्रति पंचायत समिति में रेकॉर्ड संधारण हेतु रखना कानूनी रूप से आवश्यक है। इस प्रकार न तो ग्राम पंचायत में इस पट्टे का कोई रिकॉर्ड यथा मिसल, पट्टा प्रति, कार्यवाही विवरण बैठक में पारित संकल्प, प्राप्त राशि यथा आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क तथा नियमितीकरण शुल्क जमा का रिकॉर्ड उपलब्ध है तथा न ही पंचायत समिति में उपलब्ध है। इसी प्रकार न ही अप्रार्थी संख्या 2 ने भी उपस्थित होकर पट्टे से संबंधित अभिलेख इस न्यायालय के अवलोकनार्थ पेश किया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हस्तगत आक्षेपित पट्टा फर्जी है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नहीं किया गया है।

b) इस संबंध में यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रारूप 23 क में आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–157 (1) के तहत पुराने निर्मित मकानों के नियमितीकरण बाबत पंचायत, वर्षों से अधिक पुराने घरों बाबत/1996 के नियम के प्रारंभ की तारीख से पिछले पचास वर्षों के दौरान सनिर्मित मकानों बाबत क्रमशः एक सौ/दो रूपये की फीस लेकर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम की आबादी भूमि में 1996 के नियमों के नियम 145 से 157 तक की प्रक्रिया अपनाते हुए ही जारी किये जा सकते है, जिसमें कम से कम तीन संकल्प ग्राम पंचायत को पारित करने पडते है। आवेदन प्राप्त करना, मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन, कमेटी की रिपोर्ट तथा उसके [illegible] कम एक माह की अवधि का नोटिस जारी कर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित कर, उनका निस्तारण करने के बाद ही सुनवाई कर पट्टा जारी किया जा सकता है, जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

मिसल कायम होती है परंतु उक्त प्रकिया से संबंधित कोई अभिलेख ग्राम पंचायत सोमेसर/पंचायत समिति शेरगढ में उपलब्ध ही नहीं है तथा पट्टा जारी करने की अवधि दिनांक 05.05.2010 से दिनांक 28.12.2010 तक में कार्यरत ग्राम सेवकों ने अपने बयानो/रिपोर्ट में स्पष्ट कथन किया है कि उक्त अवधि में उनके द्वारा कोई पट्टे जारी ही नहीं किये है जबकि जारी पट्टे पर आवश्यक रूप से ग्राम सेवक व सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर होना आज्ञात्मक प्रावधान है।

c) इस संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चय का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया:—

i) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने S.B.C.W.P. No. 8612/2008 (D/d-23.10.2008) में निर्णित किया कि अगर ग्राम पंचायत में पट्टे जारी करने से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे जारी करने की पूरी प्रक्रिया ही अवैध है तथा पट्टे खारिज योग्य है।

ii) S.B.C.W.P. No. 9126/2016 (D/d-12.08.2016) में निर्णित किया कि रिकॉर्ड के अभाव में पट्टे की वैद्यता का परीक्षण नहीं किया जा सकता।

iii) S.B.C.W.P. No. 8148/2012 (शांति देवी बनाम स्टेट) (D/d-25.11.2016) में ग्राम सेवक व विकास अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कथनों के आधार पर पट्टा निरस्त करना न्यायोचित माना गया है तथा विधि प्रावधानों के विपरीत जारी पट्टा निरस्त किया जाने योग्य है तथा नागरमल बनाम अति. कलक्टर, सीकर 2013(1)W.L.C.(Raj) 768 पैरा–6 को सही माना।

iv) S.B.C.W.P. No. 8211/2012 (D/d-03.02.2022) (लोकेश बनाम पंचायत समिति–भदेसर) में अभिनिर्धारित किया कि पर्याप्त अवसर देने पर भी अगर अभिलेख पेश नहीं किया जाता है, तो न्यायालय संतुष्टि हेतु [illegible] सकता है।

7. उपर्युक्त विवेचनानुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत सोमेसर ने दिनांक 05.05.2010 को अप्रार्थी [illegible] 02 अशोक कुमार पुत्र श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

भीखमचन्द के प्रार्थना पत्र पर मिसल संख्या 77 कायम ही नहीं की है तथा न ही 1996 के नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कभी भी कोई संकल्प ग्राम पंचायत की बैठक में दिनांक 05.05.2010 से 28.12.2010 तक की अवधि में अप्रार्थी को पट्टा जारी करने बाबत पारित किया है। अतः बुक संख्या 27, पट्टा संख्या 27 जारी दिनांक 28.12.2010, संकल्प संख्या 04 से आवासीय भूखण्ड बनाप 120 वर्ग गज अप्रार्थी अशोक कुमार पुत्र श्री भीखमचन्द के नाम जारी किया गया है तथा उक्त विवरण की, जो फोटो प्रति प्रार्थी ने इस निगरानी के साथ पेश की है, वह फर्जी तथा अवैध है तथा ग्राम सेवक के हस्ताक्षर फर्जी है क्योंकि उक्त अवधि में ग्राम पंचायत सोमेसर में कार्यरत ग्राम सेवक ने पट्टे जारी करना ही अस्वीकार किया है। उक्त पट्टे बाबत वसूली गई राशि बाबत कोई रसीदे भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि ग्राम पंचायत सोमेसर के तत्कालीन सरपंच श्री आवडदान चारण पर इसी दिनांक 28.12.2010 को कई फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप लगाया गया तथा पुलिस थाना शेरगढ द्वारा जांच भी की गई है तथा जिला परिषद, जोधपुर द्वारा भी जांच की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा भी कई पट्टे निगरानी में खारिज किये गये है।

8. अतः उपर्युक्त निष्कर्षानुसार प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य है तथा आक्षेपित पट्टा, अगर जारी हुआ है तो खारिज योग्य है। परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा बुक संख्या 27, पट्टा संख्या 27, दिनांक 28.12.2010, संकल्प संख्या 4 तथा मिसल संख्या 77 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है (अगर जारी है तो) तथा इस संबंध में अगर ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार के संकल्प पारित किये है, तो उन्हे भी अवैध घोषित करते हुए अपास्त किये जाते है।

9. निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शेरगढ व ग्राम पंचायत सोमेसर को भेजी जावे।

इसके अतिरिक्त निर्णय की प्रति अप्रार्थी संख्या 2 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री भीखम चन्द निवासी सोमेसर, [illegible] शेरगढ़, जिला जोधपुर–342025

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

को शेरगढ के पते तथा वर्तमान पता–18, सदर बाजार, दुर्ग, छत्तीसगढ–491001 पर भी जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट सूचनार्थ भेजी जावे।

10. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested